

✓

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन, हाथी भाटा, अजमेर - 305 001 दूरभाष : 0145 - 42-1430 (फैक्स) 0145 - 429196

No - 0893


क्र: अविविनिलि/अ.एवं प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्रे.

दिनांक : 28 MAY 2003

आदेश—129.

निगम द्वारा जारी परिपत्र संख्या आइईअज-58 दिनांक 18.2.2003 के द्वारा समयबद्ध रूप से कनेक्शन देने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अर्न्तगत स्पेशल श्रेणी के बाकी, तकनीकी रूप से साध्य आवेदकों को तुरन्त मांग पत्र जारी कर तथा मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों को 30 जून 2003 तक कनेक्शन जारी कर देने के आदेश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के जिन आवेदकों के जनवरी 2003 तक मांग पत्र जारी एवं जमा हो चुके हैं उनको कनेक्शन 30 जून 2003 तक दे दिये जाने के आदेश किये गये थे।

30 अप्रैल 2003 तक जारी कनेक्शन एवं लम्बित कनेक्शनों की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अधीक्षण अभियन्ता ने निगम द्वारा जारी निर्देशों की पालना करने में उदासीनता बरती है जिसके कारण कृषि कनेक्शन देने के कार्य में देरी हुई है। अतः इस परिपत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि कृषि कनेक्शनों को जारी करने के लिए पूर्व में जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें एवं 30.6.2003 तक समस्त स्पेशल श्रेणी के आवेदकों एवं सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन दिए जावें। इसके अतिरिक्त जिन वृत्तों में स्पेशल श्रेणी के मांग पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं वे सुनिश्चित करें कि दिनांक 10.6.2003 तक समस्त आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।


(बी.एल.आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(95)


अजमेर
विद्युत वितरण
निगम लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन, हाथी भाटा, अजमेर - 305 001 दूरभाष : 0145 - 421430 (फैक्स) 0145 - 429196

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., _____।
5. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. श्रीमान् सचिव (प्र.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. उपसचिव (प्रशा.एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
11. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
14. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।


अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर